भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2506

(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आंध्र प्रदेश में मनरेगा

2506. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिला-वार कितने कामगारों ने काम की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत जिला-वार कितने कामगारों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) क्या इस मजदूरी के संवितरण में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश राज्य का तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इन विलंब के लिए मुआवजा दिया गया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में काम की मांग करने वाले श्रमिकों की जिलावार संख्या और रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग) और (ङ): नरेगा सॉफ्ट के अनुसार , चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (01.08.2024 की स्थिति के अनुसार), महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर 100% निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) तैयार किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के अनुसार लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में सीधे मजदूरी का भुगतान कर रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी की मांग करने वालों को मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक की देरी के लिए प्रति दिन भुगतान न की गई मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उचित सत्यापन के बाद मुआवजे का भुगतान करेगी और भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों या एजेंसियों से मुआवजे की राशि वसूल करेगी।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के लाभार्थियों को आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा भुगतान में विलंब के लिए दिए गए मुआवजे का जिला-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वित्तीय वर्षों2019-20 से 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में काम की मांग करने वाले श्रमिकों की जिलावार संख्या और रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या।

क्र.सं.	जिला	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		श्रमिकों द्वारा मांगे गए रोजगार	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार	श्रमिकों द्वारा मांगे गए रोजगार	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार	श्रमिकों द्वारा मांगे गए रोजगार	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार	श्रमिकों द्वारा मांगे गए रोजगार	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार	श्रमिकों द्वारा मांगे गए रोजगार	श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	*	*	*	*	*	*	437656	362306	405541	372018
2	अनकापल्ली	*	*	*	*	*	*	400786	301292	336865	305986
3	अनंतपुर	770756	559077	936982	765344	968963	726112	500998	362968	397085	341790
4	अन्नमय्या	*	*	*	*	*	*	309146	231734	270273	243550
5	बापतला	*	*	*	*	*	*	374811	294942	325768	294832
6	चित्तूर	467229	365548	638484	527868	675199	503284	292517	241165	268539	234534
7	पूर्वी गोदावरी	598691	585542	635724	635436	713217	612335	179756	145701	153850	137325
8	एलुरु	*	*	*	*	*	*	578702	463265	486792	442883
9	गुंटूर	627870	474861	707269	579208	785743	594978	169340	120422	142475	119215
10	काकीनाडा	*	*	*	*	*	*	289711	231006	253817	225242
11	कोनासीमा	*	*	*	*	*	*	221895	180489	194640	177542
12	कृष्णा	508017	370809	631065	509419	712622	557377	328541	261050	288414	262385
13	कुरनूल	799642	549244	885125	655046	925437	606032	459084	349799	401259	354296
14	नांदयाल	*	*	*	*	*	*	381567	285366	329446	283819
15	नेल्लोर	477828	318602	558656	412067	608826	418630	446898	321060	395208	333831
16	एनटीआर	*	*	*	*	*	*	304738	245738	274093	255633
17	पलनाडु	*	*	*	*	*	*	496496	336122	418069	340098
18	पार्वतीपुरम मान्यम	*	*	*	*	*	*	370790	305267	328255	307119
19	प्रकाशम	884296	695279	970931	832738	1035366	793584	744782	572703	629015	541695
20	श्री सत्य साई	*	*	*	*	*	*	390450	268341	323913	251915

21	श्रीकाकुलम	744641	613449	814311	708353	820595	670709	622532	498063	551307	505991
22	तिरुपति	*	*	*	*	*	*	371478	281624	312506	275435
23	विशाखापत्तनम	356738	544551	439318	649550	546436	603766	51120	39654	44477	40278
24	विजयनगरम	558881	600660	637968	716160	755331	705322	618026	499040	546106	504482
25	पश्चिम गोदावरी	531291	483518	597007	549155	665441	548986	207862	164365	173275	153954
26	वाई.एस.आर	431352	340563	500653	413871	521624	396341	318978	235733	284537	237080
	कुल	**7757232**	**6501703**	**8953493**	**7954215**	**9734800**	**7737456**	**9868660**	**7599215**	**8535525**	**7542928**

* नए बनाए गए जिलें

अनुबंध -II

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के भाग (ग) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	जिला	विलंब के लिए दिया गया मुआवजा (रु. में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	*	*	*	3522	13
2	अनकापल्ली	*	*	*	1	0
3	अनंतपुर	421696	178687	10944	20342	314
4	अन्नमय	*	*	*	0	0
5	बापतला	*	*	*	0	0
6	चित्तूर	554313	171400	7100	0	0
7	पूर्वी गोदावरी	222726	85932	26687	0	0
8	एलुरु	*	*	*	0	0
9	गुंटूर	231341	53608	14203	0	0
10	काकीनाडा	*	*	*	0	0
11	कोनासीमा	*	*	*	0	0
12	कृष्णा	301356	71909	31052	0	0
13	कुरनूल	869418	144715	10027	3376	0
14	नांदयाल	*	*	*	149	0
15	नेल्लोर	552250	74601	8017	0	0
16	एनटीआर	*	*	*	0	0
17	पलनाडू	*	*	*	0	0
18	पार्वतीपुरम मन्यम	*	*	*	10	0
19	प्रकाशम	775247	187449	17833	0	0
20	श्री सत्य साई	*	*	*	1924	0
21	श्रीकाकुलम	151365	115619	16841	2674	296
22	तिरुपति	*	*	*	0	0
23	विशाखापत्तनम	514712	49089	24457	0	0
24	विजयनगरम	280308	114835	34939	8	1
25	पश्चिम गोदावरी	541869	91421	6117	0	0
26	वाई.एस.आर	885171	205625	15897	0	0
	कुल	**6301772**	**1544890**	**224114**	**32006**	**624**

* नए बनाए गए जिलें
